

न्यायालय :- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड मध्य-प्रदेश

प्रकरण क्रमांक 269 / 2016 सत्रवाद
संस्थिति दिनांक 24-08-2016

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र
एण्डोरी जिला भिण्ड म0प्र0।-----अभियोजन

बनाम

रामू सिंह उर्फ रामसिंह पुत्र बालिस्टर सिंह
भदौरिया, उम्र 34 वर्ष, निवासी ग्राम चन्दोखर
थाना एण्डोरी, जिला भिण्ड म0प्र0

-----अभियुक्त

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद श्री ए0के0गुप्ता
के न्यायालय के मूल आपराधिक प्र0कं0 700415 / 2016 इ0फौ0
से उदभूत यह सत्र प्रकरण कं0 269 / 2016

शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह गुर्जर।
शेष अभियुक्त द्वारा श्री के0सी0 उपाध्याय अधिवक्ता।

// दोषमुक्ति आदेश अंतर्गत धारा 232 दं.प्र.सं.//

// आज दिनांक 17-03-2017 को पारित किया गया //

01. आरोपी का विचारण धारा 353, 333 विकल्प में धारा 325 एवं धारा 294 भा0दं0वि0 के आरोप के संबंध में किया जा रहा है। उस पर आरोप है कि दिनांक 11.02.2016 के नो बजे रात स्थान चंदोखर नहर हेडगेट पर फरियादी हाकिमसिंह जो कि लोक सेवक के नाते अपने लोक कर्तव्यों के निष्पादन में रत थे उन्हें उनके लोक कर्तव्यों से अवरुद्ध किया और हमला व आपराधिक बल प्रयोग किया। उस पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर फरियादी हाकिमसिंह जो कि लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे उसे उनके कर्तव्यों के विधिपूर्ण निर्वहन से निवारित कर या भयोप्रद करने हेतु उनके साथ मारपीट कर उन्हें गंभीर उपहति कारित की। वैकल्पिक रूप से उस पर यह भी आरोप है कि फरियादी हाकिमसिंह जाटव की लाठियों से मारपीट कर अस्थिभंग कर स्वेच्छया गंभीर उपहति कारित की। उस पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर

सार्वजनिक स्थान से लगे भाग पर फरियादी को अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया।

02. अभियोजन प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से रहा है कि दिनांक 11.02.16 को फरियादी हाकिमसिंह केवट के द्वारा इस आशय की रिपोर्ट की गई कि वह तथा धर्मसिंह चंदोखर नहर हैड पर थे और नहर के गेट खोल रहे थे तभी अज्ञात दो व्यक्ति आए और उससे बोले कि गेट क्यों खोल रहे हो तो उसने कहा कि भिण्ड के लिए पानी जाना है। इसी बात पर उक्त दोनों लोग उसे बुरी बुरी गालियाँ देने लगे। उसके द्वारा गाली देने से मना किया तो एक व्यक्ति ने उसके दाहिने हाथ की कलाई में लाठी मारी मूदी चोट आई एवं दूसरी लाठी उसके दाहिने बख्खा में लगी मुदी चोट आई और एक अन्य लाठी उसके दाहिनी कनपटी में लगी। तभी नाथूसिंह व धर्मसिंह आ गए जिन्होंने उसे बचाया। उक्त लोग जाते समय कह रहे थे कि आज तो बचा लिया है आइंदा गेट खोला तो जान से खत्म कर देंगे। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से थाना एण्डोरी में दो अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध अप0क0 14/2016 धारा 323, 294, 506बी भा.द.वि का पंजीबद्ध किया गया। आहत का चिकित्सीय परीक्षण एवं एक्सरे परीक्षण कराया गया जिस पर से धारा 333 भा.द.वि का इजाफा किया गया। घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया, फरियादी एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, जिसमें उनके द्वारा रामू भदौरिया निवासी चंदोखर के द्वारा मारपीट करना बताया जिस पर से धारा 353 भा.द.वि का इजाफा किया गया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना उपरांत विचारण हेतु अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया जो कि कमिट होने के उपरांत माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

03. आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टिया धारा 353, 333 विकल्प में धारा 325 एवं धारा 294 भा0दं0वि0 का आरोप पाया जाने से आरोप लगाकर पढ़कर सुनाया समझाया गया। आरोपी ने जुर्म अस्वीकार किया उनकी प्ली लेखबद्ध की गई।

04. दं.प्र.सं. के प्रावधानों के अनुसार अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष होना बताते हुए झूठा फंसाया जाना अभिकथित किया है।

05. आरोपी के विरुद्ध विचारित किए जा रहे अपराध के संबंध में विचारणीय यह है कि:-

1. क्या आरोपी के द्वारा दिनांक 11.02.2016 के नो बजे रात स्थान चंदोखर नहर हेडगेट पर फरियादी हाकिमसिंह जो कि लोक सेवक के नाते अपने लोक कर्तव्यों के निष्पादन

में रत थे उन्हें उनके लोक कर्त्तव्यों से अवरूद्ध किया और हमला व आपराधिक बल प्रयोग किया?

2. क्या आरोपी के द्वारा उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर फरियादी हाकिमसिंह जो कि लोक सेवक के नाते अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे उसे उनके कर्त्तव्यों के विधिपूर्ण निर्वहन से निवारित कर या भयोप्रद करने हेतु उनके साथ मारपीट कर उन्हें गंभीर उपहति कारित की?

बिकल्प में

क्या आरोपी के द्वारा उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर फरियादी हाकिमसिंह जाटव की लाठियों से मारपीट कर अस्थिभंग कर स्वेच्छया गंभीर उपहति कारित की?

3. क्या आरोपी के द्वारा उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर सार्वजनिक स्थान से लगे भाग पर फरियादी को अश्लील गालियाँ देकर क्षोब कारित किया।

—: सकारण निष्कर्ष:—

बिन्दु कमांक 1 लगायत 3:—

06. घटना का फरियादी हाकिमसिंह अ0सा0 1 के द्वारा घटना दिनांक को चंदोखर हेड पर सिंचाई विभाग में ड्यूटी पर होना और उसके साथ ट्यूटी पर धर्मसिंह सिकरवार व नाथू केवट का भी होना बताया है और यह भी बताया है कि पानी नहर के गेट खोलकर भिण्ड के लिए जाना था। रात के साढ़े नौ बजे का समय था दो व्यक्ति आए और लाठी मारकर भाग गये। जो कि उसे कलाई, बखा में चोट आना बता रहा है। उक्त फरियादी के द्वारा यह बताया गया है कि जो व्यक्ति आए थे उनको वह पहचान नहीं पाया था। उक्त साक्षी यद्यपि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 1 लिखवना और पुलिस के द्वारा लिखापट्टी कर नक्शामौका प्र.पी. 2 का बनाना अभिकथित किया है। इस प्रकार उक्त साक्षी के द्वारा अभियोजन प्रकरण जिस प्रकार का होना बताया जा रहा है उसका समर्थन न करने से अभियोजन के द्वारा उसे पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, किन्तु इस दौरान भी साक्षी के कथनों में आरोपी के अपराध में संलग्न होने के संबंध में कोई भी साक्ष्य नहीं आया है जिससे कि आरोपी को दोषसिद्ध ठहराया जा सके।

07. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी नाथूसिंह अ0सा0 2, धर्मसिंह अ0सा0 3 जो कि घटनास्थल पर घटना के समय मौजूद होना बताये गए हैं। उक्त साक्षीगण के कथनों में

भी आरोपी के घटनास्थल पर आने और उनके द्वारा किसी प्रकार की घटना कारित करने के संबंध में अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं किया गया है, जिससे कि आरोपी को दोषसिद्ध ठहराया जा सके।

08. अभियोजन के अन्य साक्षी दिनेशसिंह अ0सा0 4 और भारतसिंह अ0सा0 5 जो कि जप्ती से संबंधित साक्षीगण हैं। उक्त साक्षीगण के कथन के आधार पर भी आरोप के अपराध में संलग्न होने के संबंध में दोषसिद्ध ठहराये जाने के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।

09. साक्षी आलोक शर्मा अ0सा0 6 जिन्होंने कि आहत हाकिमसिंह का चिकित्सीय परीक्षण किया गया है, जिसमें उसे कलाई, बखा और जबड़े में चोट आने के संबंध में बताया गया है, किन्तु मात्र चिकित्सीय साक्ष्य के आधार पर जबकि फरियादी एवं अन्य चक्षुदर्शी साक्षीगण के द्वारा आरोपी की घटनास्थल पर मौजूद होने अथवा उसके द्वारा कोई घटना कारित किये जाने के संबंध में कोई तथ्य नहीं बताया है। मात्र चिकित्सीय अभिमत के आधार पर आरोपी को दोषसिद्ध ठहराये जाने का आधार नहीं हो सकता है।

10. अनिल कुमार दीक्षित अ0सा0 7 जो कि अनुविभागीय अधिकारी के रूप में जल संसाधन विभाग क्रमांक 2 गोहद में पदस्थ है, उनके द्वारा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी होने के संबंध में प्रमाण दिया जाना बताया गया है, किन्तु मात्र इस आधार पर कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी होने का प्रमाण उनके द्वारा दिया गया है, जबकि कोई साक्ष्य इस आशय का नहीं है कि आरोपी घटनास्थल पर मौजूद था उनके कथनों के आधार पर भी कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।

11. प्रकरण के विवेचना अधिकारी एम.एल. ढोंगर जिन्होंने कि घटनास्थल का नक्शामौका प्र. पी. 2 तैयार करना एवं आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी. 6 तैयार करना तथा लाठी की जप्ती प्र.पी. 7 के अनुसार जप्त करना बताया है। इसके अतिरिक्त प्र0आर0 बृजमोहन के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 1 लेखबद्ध करना बताया है। उक्त साक्षी जो कि विवेचना से संबंधित साक्षी है उसके कथन के आधार पर जबकि जप्त की गई लाठी की कोई विशिष्ट पहचान भी नहीं है और न ही इस संबंध में कोई वैज्ञानिक परीक्षण रिपोर्ट है। उक्त साक्षी के कथन के आधार पर भी आरोपी को दोषसिद्ध ठहराए जाने का आधार नहीं हो सकता है।

12. विचारोपरांत अभियोजन प्रकरण में आरोपी रामू सिंह उर्फ रामसिंह को दोषसिद्ध

ठहराए जाने लायक कोई साक्ष्य विद्यमान न होने से आरोपी को धारा 353, 333 विकल्प में धारा 325 एवं धारा 294 भा0दं0वि0 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

13. प्रकरण में जप्तशुदा लाठी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जाए। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित
हस्ताक्षरित एवं पारित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी0सी0थपलियाल)

अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड

(डी0सी0थपलियाल)

अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)